कार्यवृत्त नीलामी

6/9

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या-1673/Admin (B-I) Section दिनांकित 16.05.2024 में वर्णित पत्रांक संख्या-797/ Admin (B-I), Dated-15.03.1994 एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया के सम्मानित आदेश दिनांकित 16.05.2024 के अनुपालन में न्यायपीठ सहारनपुर में स्थित विभिन्न प्रतिष्ठानोः चाय कैन्टीन, साईकिल स्टैंड, की वित्तीय वर्ष-2024-2025 के शेष बची अवधि हेतु नीलामी समिति की बैठक आज दिनांक 23.05.2024 को सांय 04:30 बजे मेरे विश्राम कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में श्री परविन्दर सिंह, सदस्य नीलामी समिति / अपर न्यायिक मैजिस्ट्रेट देवबन्द, तथा श्री नितिन सिंह, सदस्य नीलामी समिति / सिविल जज (जू.डि.) देवबन्द, व श्री संजीव शर्मा, सदस्य नीलामी समिति /कोर्ट मैनेजर सहारनपुर आकस्मिक अवकाश पर होने के कारण उपस्थित नही आये।

बैठक में इस न्यायपीठ में स्थित देवबन्द में चाय कैन्टीन व मोटर साईकिल/ साईकिल स्टैन्ड प्रतिष्ठानो की पूर्व में की गयी नीलामी पर विचार किया गया, जो निम्नवत है।

1- चाय कैन्टीनः इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2014-2015 में अंकन 1,72,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नही हो सका।

2- मोटर साईकिल स्टैंड/ साईकिल स्टैन्डः- इस प्रतिष्ठान की अंतिम बार बोली वित्तीय वर्ष-2020-2021 में अंकन 2,72,000/- रुपये में छोड़ी गयी। इसके पश्चात किसी अन्य वित्तीय वर्ष में उपरोक्त प्रतिष्ठान का ठेका उठाया जाना संभव नहीं हो सका।

बैठक में सर्वसम्मति से इस न्यायपीठ में स्थित देवबन्द में, (चाय कैन्टीन, मोटर साईकिल/ साईकिल स्टैंड,) की नीलामी को सीलबंद टैन्डर / मोहर बन्द निविदाये के माध्यम से कराये जाने पर विचार किया गया। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 06.06.2024 सांय 04:00 बजे तक सीलबंद टैन्डर / मोहर बन्द निविदाये आमंत्रित किये जाते हैं, जो उसी दिनांक 06.06.2024 को समय 04:30 बजे टैन्डर दाताओं की उपस्थिति में बाह्य न्यायालय देवबन्द के केन्द्रीय सभागार में में खोले जायेगें।

वित्तीय वर्ष-2024-2025 के शेष बचे माह (09 माह) हेतु बाह्य न्यायालय देवबन्द में स्थित चाय कैन्टीन व मोटर साईकिल/ साईकिल स्टैन्ड की 09 माह न्यूनतम धनराशि एवं जमानत धनराशि निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	प्रतिष्ठान का नाम	पूर्व में आरक्षित बोली	आरक्षित बोली के अनुसार शेष बची अवधि (09) माह हेतु आनुपातिक न्यूनतम धनराशि	ठेके की जमानत धनराशि जरीये डीडी/ चैक
1	चाय कैन्टीन	1,72,000/-	1,29000/-	25,000/-
2	साईकिल स्टैन्ड	2,72000/-	204000/-	30,000/-

23/05/24

6/

प्रत्येक टैन्डरदाता को सील्ड टैन्डर के साथ जमानत धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश सहारनपुर के पक्ष में संलग्न करना होगा। सफल टेन्डरदाता को शेष धनराशि अन्दर सात दिवस जमा करनी होगी। शेष धनराशि निर्धारित अवधि में जमा न करने पर निविदा-धनराशि जब्त हो जायेगी। अन्य असफल टैन्ड़रदाताओं को जमानत धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट मूल रूप से वापस कर दिया जायेगा।

इसके अतिरिक्त बैठक में नीलामी हेतु नियम व शर्तों पर विचार विमर्श किया गया तथा नियम व शर्ते निधारित की गयी। उप नाजिर देवबन्द को निर्देशित किया गया कि वह उक्त सम्बन्ध में नियमों व शर्तों का अध्यक्ष नीलामी कमेटी/अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, देवबन्द से अनुमोदन कराने के उपरान्त इनके प्रचार-प्रसार हेतु जिला न्यायालय व बाह्य न्यायालय देवबन्द के नोटिस बोर्ड व उप जिलाधिकारी व तहसील दार देवबन्द के नोटिस बोर्ड तथा अन्य दृश्यमान स्थानों पर चस्पा करायें तथा भिन्न- भिन्न तिथियों पर एक स्थानीय समाचार-पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार-पत्र में प्रकाशन करायें एवं जिला न्यायालय सहारनपुर के पोर्टल तथा माननीय उच्च न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर भी अपलोड़ करायें।

नीलामी की अग्रिम तिथि दिनांक 06.06.2024 नियत की जाती है।

(संजीव शर्मा)	23/5/24 (नितिन सिंह)	23-5-2024 (परविन्दर सिंह)	23/5/24 (श्री विनीत कुमार वासवानी)
(सदस्य नीलामी कमेटी)	(सदस्य नीलामी कमेटी)	(सदस्य नीलामी समिति)	(अध्यक्ष नीलामी कमेटी)
कोर्ट मैनेटर स.पुर	सिविल जज (जू.डि.)	अपर सिविल जज (सी.डी)	अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश
(अवकाश पर)	बाह्य न्यायालय देवबन्द	बाह्य न्यायालय देवबन्द	बाह्य न्यायालय देवबन्द

<u>बाह्य न्यायालय देवबंद, सहारनपुर के एक चाय केन्टीन एव साईकिल/मोटरसाईकिल/स्कूटर स्टैण्ड की नीलामी के नियम एवं शर्तें:–</u>

1. निविदा के साथ निश्चित जमानत धनराशि का डी0डी0 जनपद न्यायाधीश के पक्ष में न होने पर पर निविदाएं निरस्त समझी जाए।
2. समस्त नीलामी बोली दाताओं द्वारा अपनी हैसियत संबंधित तथा अच्छे चरित्र का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र तथा पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नीलामी स्वीकृत होने से संबंधित ठेकेदार बाह्य न्यायालय देवबंद परिसर में उपलब्ध कराये गये स्थान पर ही अपना कार्य करना होगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर के किसी अन्य स्थान पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अविलम्ब ठेका निरस्त करते हुए सम्पूर्ण ठेका धनराशि वसूल किये जाने योग्य होगा।
4. अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा साईकिल/मोटरसाईकिल/स्कूटर इत्यादि के लिये ली जाने वाली धनराशि माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर द्वारा अनुमोदित कराई जाएगी।
5. ठेके के स्थान के लिये किसी प्रकार का कोई टैक्स या बिल या आयकर आदि यदि देय होता है तो वह ठेकेदार द्वारा स्वयं वहन करना होगा तथा ठेके का स्थान साफ–सुथा रखा जायेगा।
6. ठेकेदार द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जायेगा और न ही किराये पर उठाया जाएगा। ठेके की जगह को किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जायेगा।
7. ठेकेदार ठेकेदारी के समय यदि कोई वाहन चोरी होता है या पैट्रोल चोरी होता या क्षतिग्रस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. ठेके की अवधि समाप्त अथवा ठेका निरस्त होने पर ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल को शांतिपूर्ण ढंग से तथा पूर्व स्थिति में खाली कर दिया जायेगा।
9. सफल निविदादाता के द्वारा जमानत धनराशि को समायोजित करते हुए शेष धनराशि अन्द्रर 7 दिन जमा न करने पर ठेका स्वतः निरस्त समझा जाऐगा एवं जमानत धनराशि जब्त हो जाऐगी।
10. न्यायालय परिसर में बीडी, सिगरेट एवं गुटका बेचना प्रतिबंधित होगा।
11. नीलामी के संबंध में अंतिम निर्णय माननीय जनपद न्यायाधीश सहारनपुर का होगा।

दिनांकः– 23.05.2024

(विनित कुमार वासवानी)
अध्यक्ष (नीलामी कमेटी),
अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश,
बाह्य न्यायालय देवबंद, सहारनपुर।